पुनरीक्षण याचिका कमांक .....
प्रस्तुति दिनांक : 14.03.2017

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)
केम्प इंदौर के समक्ष

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री विनोद संघी .....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 14.03.2017
को प्रस्तुत।
156/14.03.2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

R982-PBO-17

सूपा पिता भादू
निवासी ग्राम दही हांडी
ग्राम पंचायत बडसिंगी तहसील व जिला बुरहानपुर .....याचिकाकर्ता

वि रू द्ध

1 दीपा पिता भादू
निवासी ग्राम दही हांडी
ग्राम पंचायत बडसिंगी तहसील व जिला बुरहानपुर .....अनावेदक

2 म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर जिला बुरहानपुर

निगरानी याचिका अंतर्गत 50 (1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन है कि :–

याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर (म.प्र.) द्वारा राजस्व अपील प्रकरण कमांक 60/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 16–01–17 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/982-पीबीआर/2017

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-2018	प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषक को सुना गया। आवेदक की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन देकर उसके विरूद्ध चले आपराधिक प्रकरणों तथा अपील में पारित आदेशों की प्रतियां पेश की। प्रकरण के निराकरण में उक्त निर्णय महत्वपूर्ण होने से आवेदन स्वीकार कर उक्त आदेशों को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रकरण कोटवार नियुक्ति का होकर उभय पक्ष पूर्व कोटवार के पुत्र हैं। प्रकरण की जांच से स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारों के मध्य अन्य योग्यताएं समान हैं लेकिन आवेदक को आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाया गया है। आवेदक ने जो विभिन्न आपराधिक प्रकरणों के आदेश प्रस्तुत किये हैं उनके अनुसार उसे आपराधिक प्र.क्र. 2533/2012, 3700/12 तथा 2041/12 में दोषसिद्ध पाकर सजा हुई है। इनमें मात्र आपराधिक प्र.क्र. 2533/12 के विरूद्ध दायर अपील क्र. 31/14 में उसे दोषमुक्त किया गया है। अन्य दो प्रकरणोंकी सजा बरकरार होने से उसके आचरण को कोटवार पद पर नियुक्त होने योग्य नहीं माना जा सकता है। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आवेदक को कोटवार पद के अयोग्य एवं अनावेदक दीपा को कोटवार पद के योग्य होने से उसकी अपील स्वीकार करने में त्रुटि नहीं की है। फलत: यह निगरानी अमान्य की जाती है। कोटवार पद पर अनावेदक की नियुक्ति की पुष्टि की जाती है। अध्यक्ष	